रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 585] नई दिल्ली, सोमवार, सितम्बर 21, 2015/भाद्र 30, 1937
No. 585] NEW DELHI, MONDAY, SEPTEMBER 21, 2015/BHADRA 30, 1937

## कारपोरेट कार्य मंत्रालय

## अधिसूचना

नई दिल्ली, 21 सितम्बर, 2015

**सा.का.नि. 728(अ).**—केन्द्रीय सरकार, कंपनी अधिनियम, 2013 (2013 का 18) की धारा 414 के साथ पठित धारा 469 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात्.—

**1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.-** (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम राष्ट्रीय कंपनी विधि अपील अधिकरण (सभापति और अन्य सदस्यों, वेतन, भत्ते और सेवा की अन्य निबंधन और शर्तें) नियम, 2015 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

**2. परिभाषाएं. –**

(1) इन नियमों में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, —

(क) "अधिनियम" से कंपनी अधिनियम, 2013 (2013 का 18) अभिप्रेत है;

(ख) "सभापति" से अधिनियम की धारा 412 की उपधारा (1) के अधीन नियुक्त अपील अधिकरण का सभापति अभिप्रेत है;

(2) इन नियमों में प्रयुक्त शब्दों तथा उन पदों के जिन्हें इन नियमों में परिभाषित नहीं किया गया है किंतु अधिनियम में परिभाषित हैं के वही अर्थ होंगे जो अधिनियम में दिए गए हैं।

**3. वेतन.—**(1) सभापति 90,000/- रुपए (नियत) और ऐसे अन्य भत्तों का हकदार होगा जो 90,000/- रुपए (नियत) के मंत्रिमंडल सचिव वेतनमान में किसी अधिकारी को अनुज्ञेय हैं ।

(2) किसी न्यायिक सदस्य और तकनीकी सदस्य को 80,000/- रुपए (नियत) के वेतनमान में वेतन और ऐसे अन्य भत्ते संदत्त होंगे जो 80,000/- रुपए (नियत) के सर्वोच्च वेतनमान में किसी अधिकारी को अनुज्ञेय हैं।

(3) यदि सभापति या सदस्य, के रूप में नियुक्त कोई व्यक्ति पेंशन प्राप्त कर रहा है तो ऐसे व्यक्ति के वेतन में उसके द्वारा प्राप्त किए जा रहे पेंशन की कुल राशि घटा दी जाएगी।

**4. पेंशन, उपदान या भविष्य निधि.—**(1) उच्चतम न्यायालय या किसी उच्च न्यायालय के सेवारत न्यायाधीश या अधिकरण के किसी सेवारत न्यायिक सदस्य या सरकार में सेवारत किसी व्यक्ति को सभापति या न्यायिक सदस्य या तकनीकी सदस्य, के पद पर नियुक्त किया जाता है तो अपील अधिकरण में की गई सेवा की गणना उसकी मूल सेवा के नियमों के अनुसार पेंशन प्राप्त करने के लिए की जाएगी और वह साधारण भविष्य निधि (केन्द्रीय सेवाएं) नियम, 1960 के उपबंधों द्वारा शासित होगा।

(2) अन्य सभी मामलों में सदस्य अंशदायी भविष्य निधि (भारत) नियम, 1962 के उपबंधों द्वारा शासित होंगे।

(3) अपील अधिकरण में की गई सेवा के लिए अतिरिक्त पेंशन और उपदान अनुज्ञेय नहीं होगा।

**5. छुट्टी.-**(1) सभापति और प्रत्येक अन्य सदस्य सेवा के प्रत्येक वर्ष के लिए तीस दिनों के अर्जित छुट्टी के हकदार होंगे।

(2) छुट्टी के दौरान छुट्टी वेतन का भुगतान केन्द्रीय सिविल सेवाएँ (छुट्टी) नियम, 1972 के नियम 40 द्वारा शासित होगा।

(3) सभापति और सदस्य उनके खाते में शेष अर्जित छुट्टी के संबंध में छुट्टी भुनाने के हकदार होंगे बशर्ते, अधिकतम भुनाया गया छुट्टी, पिछली सेवा से सेवानिवृत्ति के समय प्राप्त सहित, किसी भी स्थिति में केन्द्रीय सिविल सेवाएँ (छुट्टी) नियम, 1972 के अधीन निर्धारित सीमा से अधिक नहीं होगा।

**6. छुट्टी अनुमोदन करने वाला प्राधिकारी.-** सभापति के मामले में छुट्टी संस्वीकृत करने के लिए सक्षम प्राधिकारी भारत के राष्ट्रपति होंगे और सदस्यों के मामले में सभापति छुट्टी अनुमोदन करने वाले प्राधिकारी होंगे।

**7. यात्रा भत्ता.-**(1) सभापति भारत के भीतर दौरे पर या स्थानांतरण पर (अपील अधिकरण में कार्यग्रहण करने के लिए की गई यात्रा या अधिकरण में अपनी पदावधि पूर्ण करने के बाद अपने गृहनगर जाने के लिए की गई यात्रा सहित) 90,000/- रुपए (नियत) के समतुल्य ग्रेड में केन्द्रीय सरकार के किसी अधिकारी अनुज्ञेय समान दरों पर यात्रा भत्ता, दैनिक भत्ता, निजी समानों के परिवहन के लिए भत्ता और अन्य सामान्य मामलों का हकदार होगा।

(2) कोई सदस्य भारत के भीतर दौरे पर या स्थानांतरण पर (अपील अधिकरण में कार्यग्रहण करने के लिए की गई यात्रा या अपील अधिकरण में अपनी पदावधि पूर्ण करने के बाद अपने गृहनगर जाने के लिए की गई यात्रा सहित) 80,000/- रुपए (नियत) के सर्वोच्च वेतनमान में केन्द्रीय सरकार के किसी अधिकारी अनुज्ञेय समान दरों पर यात्रा भत्ता, दैनिक भत्ता, निजी समानों के परिवहन के लिए भत्ता और अन्य सामान्य मामलों का हकदार होगा।

**8. शासकीय विदेश यात्रा.-**(1) सभापति द्वारा आधिकारिक विदेश यात्रा केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी आदेशों के अनुसार किए जाएंगे और वह ऐसी यात्राओं के लिए ऐसे भत्ते प्राप्त करने का हकदार होगा जो 90,000/- रुपए (नियत) के समतुल्य ग्रेड में केन्द्रीय सरकार के किसी अधिकारी के लिए लागू हैं।

(2) किसी सदस्य द्वारा शासकीय विदेश यात्रा केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी आदेशों के अनुसार किए जाएंगे और वह ऐसी यात्राओं के लिए ऐसे भत्ते प्राप्त करने का हकदार होगा जो 80,000/- रुपए (नियत) के सर्वोच्च वेतनमान में केन्द्रीय सरकार के किसी अधिकारी के लिए लागू हैं।

**9. यात्रा रियायत भत्ता –** (1) सभापति उन्हीं निबंधनों पर यात्रा रियायत भत्ता प्राप्त करने का पात्र होगा जो 90,000 रुपए (नियत) के समतुल्य ग्रेड वेतन में केंद्रीय सरकार के अधिकारियों के लिए लागू होगा।

(2) सदस्य उन्हीं निबंधनों पर यात्रा रियायत भत्ता के पात्र होंगे, जो 80,000 रुपए (नियत) के शीर्ष वेतनमान में केंद्रीय सरकार के अधिकारियों के लिए लागू होंगे।

**10. चिकित्सा उपचार की सुविधा –** सभापति और अन्य सदस्य केंद्रीय सेवा (चिकित्सा उपचार) नियम, 1944 में यथाउपबंधित चिकित्सा सुविधाओं के पात्र होंगे।

**11. आवास –** सभापति या न्यायिक सदस्य या तकनीकी सदस्य के पास केंद्रीय सरकार द्वारा समतुल्य ग्रेड वेतन या वेतनमान के समूह 'क' अधिकारियों के लिए विहित दरों के अनुसार गृह किराया भत्ते का दावा करने का विकल्प होगा:

परंतु यदि इसे साधारण पूल निवास की जगह के लिए पात्र घोषित किया गया है और वह अधिभोगी को आबंटित सरकारी आवास में रह रहा है तो गृह किराया भत्ता के लिए पात्र नहीं होगा।

**12. वाहन की सुविधा –** सभापति या न्यायिक सदस्य या तकनीकी सदस्य शासकीय और प्राइवेट प्रयोजनों के लिए समकक्ष ग्रेड वेतन में केंद्रीय सरकारी सेवकों के अनुरूप समय-समय पर यथा संशोधित स्टॉफ कार नियमों के अनुसार स्टॉफ कार की सुविधा प्राप्त करने के पात्र होंगे।

**13. टेलीफोन सुविधा. –** सभापति या न्यायिक सदस्य या तकनीकी सदस्य केंद्रीय सरकार में समतुल्य वेतन प्राप्त करने वाले समूह 'क' अधिकारी के लिए अनुज्ञेय टेलीफोन सुविधाओं के पात्र होंगे।

**14. सभापति की सेवा-शर्तें –** जहां सभापति के रूप में उच्चतम न्यायालय के सेवारत या सेवानिवृत्त नयायाधीश या उच्च न्यायालय के सेवारत या सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश को नियुक्त किया जाता है वहां उसकी सेवा शर्तें, जब तक कि इन नियमों में विशेष रूप से उपाबंध न किया जाए, उच्चतम न्यायालय न्यायाधीश (वेतन और सेवा शर्तें) अधिनियम, 1958 या उच्च न्यायालय न्यायाधीश (वेतन और सेवा शर्तें) अधिनियम, 1954 और इसके अधीन बनाए गए नियमों के अनुसार होंगी।

**15. न्यायिक सदस्य की सेवा शर्तें.–** यदि उच्च न्यायालय के सेवारत न्यायाधीश को न्यायिक सदस्य नियुक्त किया जाता है तो उसकी सेवा शर्तें, जब तक कि इन नियमों में विशेष रूप से प्रावधान न किया जाए, उच्च न्यायालय न्यायाधीश (वेतन और सेवा शर्तें) अधिनियम, 1954 और इसके अंतर्गत बनाए गए नियमों के अनुसार होंगी:

परंतु न्यायिक सदस्य की उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में सेवानिवृत्ति की सम्यक तारीख के बाद या धारणाधिकार समाप्त होने पर, इनमें से जो बाद में हो, की सेवा शर्तें, जब तक कि इन नियमों में विशेष रूप से उपाबंध न किया जाए, उसके कार्यकाल की शेष अवधि के लिए उस समय के लिए वही होंगी जो भारत सरकार में तत्स्थानी प्रास्थिति के अन्य कर्मचारियों के लिए लागू होंगी।

**16. पद और गोपनीयता की शपथ.–** (1) सभापति या सदस्य, के रूप में नियुक्त प्रत्येक व्यक्ति को अपना पदभार ग्रहण करने से पूर्व इन नियमों के साथ संलग्न प्ररूप-1 और प्ररूप-2 में क्रमशः पद और गोपनीयता की शपथ लेनी होगी और उस पर हस्ताक्षर करने होंगे।

**17. वित्तीय और अन्य हित की घोषणा. –** सभापति या सदस्य, के रूप में नियुक्ति होने पर प्रत्येक व्यक्ति इन नियमों के साथ उपाबंध प्ररूप-3 में केंद्रीय सरकार को इस आशय की घोषणा देगा कि वह सभापति या सदस्य के रूप में अपने कार्यों पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाले किसी वित्तीय या अन्य हित में शामिल नहीं होगा।

**18. अवशिष्ट उपाबंध.–** सभापति और सदस्यों की सेवा की शर्तों व निबंधनों से संबंधित मामलों, जिनके संबंध में इन नियमों में कोई अभिव्यक्त उपाबंध नहीं किए गए हैं, के लिए समय होने पर उपाबंध होंगे जो तत्स्थानी प्रास्थिति के भारत सरकार के अन्य कर्मचारियों के लिए लागू हैं।

**19. शिथिल देने की शक्तियां .–** केंद्रीय सरकार को किसी भी वर्ग या प्रवर्ग के संबंध में इन नियमों के किसी उपाबंध में शिथिल देने की शक्ति होगी।

**प्ररूप–1**

(नियम 16 देखें)

**राष्ट्रीय कंपनी विधि अपील अधिकरण के सभापति अथवा सदस्यों के लिए पद की शपथ का प्ररूप**

"मैं, ....., राष्ट्रीय कंपनी विधि अपील अधिकरण के सभापति अथवा सदस्य के रूप में नियुक्त किए जाने पर

सत्यनिष्ठा से

ईश्वर की शपथ लेता/लेती हूं कि

मैं मेरी योग्यता, ज्ञान और निर्णय से, बिना किसी भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के सभापति अथवा सदस्य के रूप में ईमानदारी और कर्त्तव्यनिष्ठा से मेरे कर्त्तव्यों का निर्वहन करूंगा/करूंगी।"

हस्ताक्षरः .....

(सभापति/न्यायिक/तकनीकी सदस्य का नाम)

पदनामः .....

राष्ट्रीय कंपनी विधि अपील अधिकरण

तारीखः

स्थानः

**प्ररूप – 2**

(नियम 16 देखें)

**राष्ट्रीय कंपनी विधि अपील अधिकरण के सभापति अथवा सदस्यों के लिए गोपनीयता की शपथ का प्ररूप**

"मैं, ....., राष्ट्रीय कंपनी विधि अपील अधिकरण के सभापति अथवा सदस्यों के रूप में नियुक्त किए जाने पर

सत्यनिष्ठा से

ईश्वर की शपथ लेता/लेती हूं कि

मैं उक्त अधिकरण के सभापति या सदस्य के रूप में ऐसा कोई भी मामला, जो मेरे संज्ञान में लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, को सभापति या सदस्य के रूप में सिवाए उस स्थिति के जब सभापति या सदस्य के रूप में मेरे कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, किसी भी व्यक्ति या व्यक्तियों के समक्ष प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा/करूंगी।

हस्ताक्षरः .....

(सभापति/न्यायिक/तकनीकी सदस्य का नाम)

पदनामः .....

राष्ट्रीय कंपनी विधि अपील अधिकरण

तारीखः

स्थानः

IndiaCode

**प्ररूप – 3**

(नियम 17 देखें)

**वित्तीय या अन्य हित की घोषणा**

"मैं, ....., राष्ट्रीय कंपनी विधि अपील अधिकरण के सभापति अथवा सदस्य (जो लागू न हो उसे काट दें) के रूप में नियुक्त किए जाने पर सत्यनिष्ठा से घोषणा करता/करती हूं कि मेरा किसी भी तरह का ऐसा वित्तीय या अन्य हित न है, न भविष्य में होगा, जिससे राष्ट्रीय कंपनी विधि अपील अधिकरण के सभापति या सदस्य (जो लागू न हो उसे काट दें) के रूप में मेरे कार्यों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना हो।

हस्ताक्षरः .....

(सभापति/न्यायिक/तकनीकी सदस्य का नाम)

पदनामः .....

राष्ट्रीय कंपनी विधि अपील अधिकरण

तारीखः

स्थानः

[फा. सं. 1/30/2013-सीएल.V-भाग-II]

अमरदीप सिंह भाटिया, संयुक्त सचिव

**MINISTRY OF CORPORATE AFFAIRS**

**NOTIFICATION**

New Delhi, the 21st September, 2015

**G.S.R. 728(E).**—In exercise of the powers conferred by section 469 read with section 414 of the Companies Act, 2013 (18 of 2013), the Central Government hereby makes the following rules, namely:—

**1. Short title and commencement:-** (1) These rules may be called the National Company Law Appellate Tribunal (Salaries and Allowances and other terms and conditions of service of the Chairperson and other Members) Rules, 2015.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

**2. Definitions:-**

(1) In these rules, unless the context otherwise requires, -

(a) "Act" means the Companies Act, 2013 ( 18 of 2013);

(b) "Chairperson" means the Chairperson of the Appellate Tribunal appointed under sub-section (1) of section 412 of the Act;

(2) Words and expressions used in these rules and not defined, but defined in the Act shall have the meanings respectively assigned to them in the Act.

**3. Pay.—**(1) The Chairperson shall be entitled to a monthly pay of Rs. 90,000/- (fixed) and such other allowances as are admissible to an officer in the Cabinet Secretary's Scale of Rs. 90,000 (fixed).

(2) A Judicial Member and Technical Member shall be paid salary in the pay scale of Rs. 80,000/- (fixed) and such other allowances as are admissible to an officer in the Apex Scale of Rs. 80,000 (fixed).

(3) In case a person appointed as the Chairperson or a Member, as the case may be, is in receipt of any pension, the pay of such person shall be reduced by the gross amount of pension drawn by him.

**4. Pension, Gratuity or Provident Fund. –** (1) In case a serving Judge of the Supreme Court or High Court, or a serving Judicial Member of the Tribunal or a person in the service of the Government is appointed to the post of Chairperson or Judicial Member or Technical Member, as the case may be, the service rendered in the Appellate Tribunal shall count for pension, to be drawn in accordance with the rules of the service to which he belongs, and he shall also be governed by the provisions of the General Provident Fund (Central Services) Rules, 1960.

(2) In all other cases, the Members shall be governed by the provisions of the Contributory Provident Fund (India) Rules, 1962.

(3) Additional pension and gratuity shall not be admissible for service rendered in the Appellate Tribunal.

**5. Leave. –** (1) The Chairperson and every other Member shall be entitled to thirty days of Earned Leave for every year of service.

(2) The payment of leave salary during leave shall be governed by rule 40 of the Central Civil Services (Leave) Rules, 1972.

(3) The Chairperson and Members shall be entitled to encashment of leave in respect of the Earned Leave standing to his credit, subject to the condition that maximum leave encashment, including received at the time of retirement from previous service shall not in any case exceed the prescribed limit under the Central Civil Service (Leave) Rules, 1972.

**6. Leave Sanctioning Authority. -** In the case of the Chairperson, the competent authority to sanction the leave shall be the President of India and in the case of the Members, the Chairperson shall be the leave sanctioning authority.

**7. Travelling Allowances.-** (1) The Chairperson while on tour within India or on transfer (including the journey undertaken to join the Appellate Tribunal or on the completion of his tenure with the Tribunal to proceed to his home town) shall be entitled to the travelling allowance, daily allowance, transportation of personal effects and other similar matters at the same rates as are admissible to the officer of the Central Government in the equivalent grade of Rs. 90,000 (fixed).

(2) The Member of the Appellate Tribunal while on tour within India or on transfer (including the journey undertaken to join the Appellate Tribunal or on the completion of his tenure with the Appellate Tribunal to proceed to his home town) shall be entitled to the travelling allowance, daily allowance, transportation of personal effects and other similar matters at the same rates as are admissible to the officer of the Central Government in the Apex Scale of Rs. 80,000/- (fixed).

**8. Official visits abroad. –** (1) Official visits abroad by the Chairperson shall be undertaken only in accordance with orders issued by the Central Government and he shall be entitled to draw such allowances in respect of such visits as are applicable to the officer of the Central Government in the equivalent grade of Rs. 90,000 (fixed).

(2) Official visits abroad by the Member shall be undertaken only in accordance with orders issued by the Central Government and he shall be entitled to draw such allowances in respect of such visits as are applicable to officers of the Central Government in the Apex Scale of Rs. 80,000/- (fixed).

**9. Leave Travel Concession. –** (1) The Chairperson shall be entitled to Leave Travel Concession at the same rates as are admissible to officers of the Central Government in the equivalent pay grade of Rs. 90,000 (fixed).

(2) The Member shall be entitled to Leave Travel Concession on the same terms as are applicable to officer of the Central Government in the Apex Scale of Rs. 80,000/- (fixed).

**10. Facility for Medical Treatment.-** The Chairperson and other Members shall be entitled to the medical facilities as provided in the Central Services (Medical Attendance) Rules, 1944.

**11. Accommodation**.- The Chairperson or the Judicial Member or the Technical Member shall have the option of claiming house rent allowance in accordance with the rates prescribed by the Central Government for Group 'A' officers of equivalent pay grade or scale:

Provided that he shall not be eligible for house rent allowance in case he is declared eligible for General Pool Residential Accommodation and occupy Government accommodation allotted to him.

**12. Facility of conveyance**.- The Chairperson or a Judicial Member or Technical Member shall be entitled to the facility of staff car for journeys for official and private purposes in accordance with the facilities provided to Government servants in the corresponding pay grade as per Staff Car Rules, as amemded from time to time.

**13. Telephone facility.—**The Chairperson, Judicial Member and Technical Member shall be eligible for telephone facilities as admissible to a Group 'A' officer of the Central Government drawing an equivalent pay.

**14. Conditions of service of Chairperson.—**Where a serving or retired Judge of the Supreme Court or a serving or retired Chief Justice of a High Court is appointed as the Chairperson, the service conditions, unless specifically provided for in these rules, shall be as contained in the Supreme Court Judges (Salaries and Conditions of Service) Act, 1958, or the High Court Judges (Salaries and Conditions of Service) Act, 1954, as the case may be, and the rules made thereunder.

**15**. **Conditons of Service of Judicial Member**. – Where a serving judge of a High Court is appointed as a Judicial Member, the sevice conditions, unless specifically provided for in these rules, shall be as contained in the High Court Judges (Salaries and Conditions of Service) Act, 1954, as the case may be, and the rules made thereunder:

Provided that the Judicial Member after his due date of retirement from sevice as a Judge of the High Court or expiry of the lien period, whichever is later, the service conditions, other than specifically provided in these Rules, for the remaining period of his term of office, shall be same as may, for the time being, be applicable to other employees of the Government of India of a corresponding status.

**16. Oath of office and secrecy:-** Every person appointed as the Chairperson or a Member, as the case may be, shall, before entering upon his office, make and subscribe an oath of office and secrecy, in Form I and Form II annexed to these rules.

**17. Declaration of financial or other interest.—**Every person, on his appointment as the Chairperson or Member, as the case may be, shall give a declaration in Form III annexed to these rules, to the satisfaction of the Central Government, that he does not have any such financial or other interest as is likely to affect prejudicially his functions as Chairperson or Member.

**18. Residuary provisions. –** Matters relating to the terms and conditions of service of the President and Members, with respect to which no express provision has been made in these rules, shall be same as may, for the time being, is applicable to other employees of the Government of India of a corresponding status.

**19. Powers to relax:-**The Central Government shall have power to relax any provision of these rules with respect to any class or category of persons.

**Form - I**

(See rule 16)

**Form of oath of office for Chairperson or Members of the National Company Law Appellate Tribunal**

"I, ....., having been appointed as Chairperson or member of the National Company Law Appellate Tribunal

do solemnly affirm

swear in the name of God

that I will faithfully and conscientiously discharge my duties as Chairperson or member to the best of my ability, knowledge and judgment, without fear or favour, affection or ill-will."

Signature: .....

(Name of the Chairperson/
Judicial/Technical Member)

Designation: .....

National Company Law Appellate Tribunal

Dated:

Place:

**Form - II**

(See rule 16)

**Form of oath of secrecy for Chairperson or Members of the National Company Law Appellate Tribunal**

"I, ....., having been appointed as Chairperson or member of the National Company law Appellate Tribunal

do solemnly affirm

swear in the name of God

that I will not directly or indirectly communicate or reveal to any person or persons any matter which shall be brought under my consideration or shall become known to me as Chairperson or member of the said Tribunal except as may be required for the due discharge of my duties as Chairperson or member."

Signature: .....

(Name of the Chairperson/Judicial/Technical Member)

Designation: .....

National Company Law Appellate Tribunal

Dated:

Place:

**Form - III**

(See rule 17)

**Declaration of financial or other interest**

I, ....., having been appointed as the Chairperson or Member (cross out portion not applicable) of the National Company Law Appellate Tribunal, do solemnly affirm and declare that I do not have, nor shall have in future any financial or other interest which is likely to affect prejudicially my functioning as the Chairperson or Member (cross out portion not applicable), of the National Company Law Appellate Tribunal.

Signature: .....

(Name of the Chairperson/
Judicial/Technical Member)

Designation: .....

National Company Law Appellate Tribunal

Dated:

Place:

[F. No. 1/30/2013-CL.V – Part–II]

AMARDEEP SINGH BHATIA, Jt. Secy.

IndiaCode

**अधिसूचना**

नई दिल्ली, 21 सितम्बर, 2015

**सा.का.नि. 729(अ).**—केन्द्रीय सरकार, कंपनी अधिनियम, 2013 (2013 का 18) की धारा 414 के साथ पठित धारा 469 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात्-

**1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ -** (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम राष्ट्रीय कंपनी विधि अधिकरण (अध्यक्ष और अन्य सदस्यों के वेतन, भत्ते और सेवा की अन्य निबंधन और शर्तें) नियम, 2015 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

**2. परिभाषाएं –**

(1) इन नियमों में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, -

(क) "अधिनियम" से कंपनी अधिनियम, 2013 (2013 का 18) अभिप्रेत है;

(ख) "अध्यक्ष" से अधिनियम की धारा 408 के अधीन नियुक्त अधिकरण का अध्यक्ष अभिप्रेत है;

(2) इन नियमों में प्रयुक्त शब्दों तथा पदों के जिन्हें इन नियमों में परिभाषित नहीं किया गया है किंतु अधिनियम में परिभाषित वही अर्थ होंगे जो अधिनियम में दिए गए हैं।

**3. वेतन.-** (1) अध्यक्ष 80,000/-रुपए (नियत) और ऐसे अन्य भत्तों का हकदार होगा जो 80,000/-रुपए (नियत) के सर्वोच्च वेतनमान में किसी सरकारी सेवक को अनुज्ञेय है।

(2) किसी न्यायिक सदस्य और तकनीकी सदस्य को 67,000 से 79,000/-रुपए (3% वार्षिक वेतनवृद्धि) के वेतनमान में वेतन और ऐसे अन्य भत्ते संदत्त होंगे जो 67,000 से 79,000/-रुपए के उच्चतर प्रशासनिक ग्रेड में किसी सरकारी सेवक को अनुज्ञेय हैं।

(3) यदि अध्यक्ष या न्यायिक सदस्य या तकनीकी सदस्य, के रूप में नियुक्त कोई व्यक्ति पेंशन प्राप्त कर रहा है तो ऐसे व्यक्ति के वेतन में उसके द्वारा प्राप्त की जा रही पेंशन की कुल राशि घटा दी जाएगी।

**4. पेंशन, उपदान या भविष्य निधि.-** (1) किसी उच्च न्यायालय के सेवारत न्यायाधीश या सरकार में सेवारत किसी व्यक्ति को अध्यक्ष या न्यायिक सदस्य या तकनीकी सदस्य, के पद पर नियुक्त किया जाता है तो अधिकरण में की गई सेवा की गणना उसकी मूल सेवा के नियमों के अनुसार पेंशन प्राप्त करने के लिए की जाएगी और वह साधारण भविष्य निधि (केन्द्रीय सेवाएं) नियम, 1960 के उपबंधों द्वारा शासित होगा।

(2) अन्य सभी मामलों में सदस्य अंशदायी भविष्य निधि (भारत) नियम, 1962 के उपबंधों द्वारा शासित होंगे।

(3) अधिकरण में की गई सेवा के लिए अतिरिक्त पेंशन और उपदान अनुज्ञेय नहीं होगा।

**5. छुट्टी.-** (1) अध्यक्ष और प्रत्येक अन्य सदस्य सेवा के प्रत्येक वर्ष के लिए तीस दिन के अर्जित छुट्टी के हकदार होंगे।

(2) छुट्टी के दौरान छुट्टी वेतन का भुगतान केन्द्रीय सिविल सेवाएँ (छुट्टी) नियम, 1972 के नियम 40 द्वारा शासित होगा।

(3) अध्यक्ष और सदस्य उनके खाते में शेष अर्जित छुट्टी के संबंध में छुट्टी भुनाने के हकदार होंगे बशर्ते, अधिकतम भुनाया गया छुट्टी, पिछली सेवा से सेवानिवृत्ति के समय प्राप्त सहित, किसी भी स्थिति में केन्द्रीय सिविल सेवाएँ (छुट्टी) नियम, 1972 के अधीन निर्धारित सीमा से अधिक नहीं होगा।

**6. छुट्टी अनुमोदन करने वाला प्राधिकारी.-** अध्यक्ष के मामले में छुट्टी संस्वीकृत करने के लिए सक्षम प्राधिकारी भारत के राष्ट्रपति होंगे और सदस्यों के मामले में अध्यक्ष छुट्टी अनुमोदन करने वाला प्राधिकारी होगा।

**7. यात्रा भत्ते.-** (1) अध्यक्ष भारत के भीतर दौरे पर या स्थानांतरण पर (अपील अधिकरण में कार्यग्रहण करने के लिए की गई यात्रा या अधिकरण में अपनी पदावधि पूर्ण करने के बाद अपने गृहनगर जाने के लिए की गई यात्रा सहित) 80,000/- रुपए (नियत) के सर्वोच्च ग्रेड में केन्द्रीय सरकार के किसी अधिकारी को अनुज्ञेय समान दरों पर यात्रा भत्ता, दैनिक भत्ता, निजी सामानों के परिवहन के लिए भत्ता और अन्य साधारण मामलों का हकदार होगा।

(2) सदस्यों को भारत के भीतर दौरे पर या स्थानांतरण पर (अधिकरण में कार्यग्रहण करने के लिए की गई यात्रा या अधिकरण में अपनी पदावधि पूर्ण करने के बाद अपने गृहनगर जाने के लिए की गई यात्रा सहित) उच्चतर प्रशासनिक ग्रेड (67,000 से 79,000/-रुपए) में केन्द्रीय सरकार के किसी अधिकारी को अनुज्ञेय समान दरों पर यात्रा भत्ता, दैनिक भत्ता, वैयक्तिक सामानों के परिवहन के लिए भत्ता और अन्य सामान्य मामलों के हकदार होंगे।

IndiaCode

**8. शासकीय विदेश दौरा.—**(1) अध्यक्ष द्वारा शासकीय विदेश दौरा केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी आदेशों के अनुसार किए जाएंगे और वह ऐसी यात्राओं के लिए ऐसे भत्ते प्राप्त करने का हकदार होगा जो अस्सी हजार रुपए (नियत) के सर्वोच्च ग्रेड में केन्द्रीय सरकार के अधिकारियों के लिए लागू हैं।

(2) सदस्यों द्वारा शासकीय विदेश यात्रा केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी आदेशों के अनुसार किए जाएंगे और वह ऐसी यात्राओं के लिए ऐसे भत्ते प्राप्त करने का हकदार होगा जो 67,000 से 79,000/- रुपए के उच्चतर प्रशासनिक ग्रेड में केन्द्रीय सरकार के किसी अधिकारी के लिए लागू हैं।

**9. यात्रा रियायत भत्ता –** (1) अध्यक्ष उन्हीं निबंधनों पर यात्रा रियायत भत्ता प्राप्त करने का पात्र होगा जो नियम 3 के उपनियम (3) के प्रथम परंतुक के अधीन शीर्ष ग्रेड अस्सी हजार रुपए (नियत) में केंद्रीय सरकार के अधिकारियों के लिए लागू होगा।

(2) सदस्य उन्हीं निबंधनों पर यात्रा रियायत भत्ता के पात्र होंगे, उच्चतर प्रशासनिक ग्रेड (67,000 – 79,000 /- रुपए) में केंद्रीय सरकार के अधिकारियों के लिए लागू होंगे।

**10. चिकित्सा उपचार की सुविधा –** अध्यक्ष और अन्य सदस्य केंद्रीय सेवा (चिकित्सा उपचार) नियम, 1944 में विहित चिकित्सा सुविधाओं के पात्र होंगे।

**11. आवास –** अध्यक्ष और सदस्यों के पास केंद्रीय सरकार द्वारा समकक्ष ग्रेड वेतन या वेतनमान के समूह 'क' अधिकारियों के लिए विहित दरों के अनुसार गृह किराया भत्ते का दावा करने का विकल्प होगा:

परंतु यदि इसे साधारण पूल निवास की जगह के लिए पात्र घोषित किया गया है और वह स्वंय को आबंटित सरकारी स्थान में रह रहा है तो गृह किराया भत्ता के लिए पात्र नहीं होगा।

**12. वाहन की सुविधा –** अध्यक्ष और सदस्य शासकीय और प्राइवेट प्रयोजनों के लिए समकक्ष ग्रेड वेतन में केंद्र सरकारी सेवकों के अनुरूप समय-समय पर यथा तत्स्थानी स्टॉफ कार नियमों के अनुसार स्टॉफ कार की सुविधा प्राप्त करने के पात्र होंगे।

**13. टेलीफोन सुविधा –** अध्यक्ष और सदस्य केंद्रीय सरकार में समतुल्य वेतन प्राप्त करने वाले समूह 'क' अधिकारी के लिए अनुरोध टेलीफोन सुविधाओं के पात्र होंगे।

**14. अध्यक्ष की सेवा-शर्तें –** जहां अध्यक्ष के रूप में उच्च न्यायालय के सेवारत या सेवानिवृत्त न्यायाधीश को नियुक्त किया जाता है वहां उसकी सेवा शर्तें, जब तक कि इन नियमों में विशेष रूप से उपाबंध न किया जाए, उच्च न्यायालय न्यायाधीश (वेतन और सेवा शर्तें) अधिनियम, 1954 और इसके अंतर्गत बनाए गए नियमों के अनुसार होंगी।

**15. न्यायिक सदस्य की सेवा शर्तें –** जहां उच्च न्यायालय के सेवारत न्यायाधीश को न्यायिक सदस्य नियुक्त किया जाता है वहां उसकी सेवा शर्तें, जब तक कि इन नियमों में विशेष रूप से उपाबंध न किया जाए, उच्च न्यायालय न्यायाधीश (वेतन और सेवा शर्तें) अधिनियम, 1954 और इसके अंतर्गत बनाए गए नियमों के अनुसार होंगी:

परंतु न्यायिक सदस्य की उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में सेवानिवृत्ति की नियत तारीख के बाद या धारणाधिकार समाप्त होने पर, इनमें से जो बाद में हो, की सेवा शर्तें, जब तक कि इन नियमों में विशेष रूप से उपाबंध न किया जाए, उसके कार्यकाल की शेष अवधि के लिए उस समय के लिए वही होंगी जो भारत सरकार में तत्स्थायी प्रास्थिति के अन्य कर्मचारियों के लिए लागू होंगी।

**16. नियमों की प्रयोज्यता –** कंपनी विधि बोर्ड के अध्यक्ष और सदस्य, जो इस अधिनियम के अंतर्गत अधिकरण के क्रमशः अध्यक्ष और सदस्यों के रूप में नियुक्ति के लिए अपेक्षित अर्हताएं और अपेक्षाएं पूरी करते हैं, को इस अधिनियम की धारा 412 में निर्धारित पद्धति से इन पदों के लिए चयन प्रक्रिया का अनुपालन करने के बाद नियुक्त किया जाएगा।

**17. पद और गोपनीयता की शपथ –** (1) अध्यक्ष या सदस्य, के रूप में नियुक्त प्रत्येक व्यक्ति को अपना पदभार ग्रहण करने से पूर्व इन नियमों के साथ संलग्न प्ररूप-1 और प्ररूप-2 में क्रमशः पद और गोपनीयता की शपथ लेनी होगी और उस पर हस्ताक्षर करने होंगे।

**18. वित्तीय और अन्य हित की घोषणा –** अध्यक्ष या सदस्य, के रूप में नियुक्ति होने पर प्रत्येक व्यक्ति इन नियमों के साथ संलग्न प्ररूप-3 में केंद्रीय सरकार को इस आशय की घोषणा देगा कि वह अध्यक्ष या सदस्य के रूप में अपने कार्यों पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाले किसी वित्तीय या अन्य हित में सम्मिलित नहीं होगा।

**19. अवशिष्ट उपाबंध –** अध्यक्ष और सदस्यों की सेवा की शर्तों व निबंधनों से संबंधित मामलों, जिनके संबंध में इन नियमों में कोई अभिव्यक्त उपाबंध नहीं किए गए हैं, के लिए तत्समय वही उपाबंध होंगे जो तत्स्थायी प्रास्थिति के केंद्रीय सरकार के अन्य कर्मचारियों के लिए लागू हैं।

**20. शिथिल देने की शक्तियां –** केंद्रीय सरकार को किसी भी वर्ग या प्रवर्ग के संबंध में इन नियमों के किसी उपाबंध में शिथिल देने की शक्ति होगी।

**प्ररूप – I**

(नियम 17 देखें)

**राष्ट्रीय कंपनी विधि अधिकरण के अध्यक्ष अथवा सदस्यों के लिए पद की शपथ का प्ररूप**

"मैं, ....., राष्ट्रीय कंपनी विधि अधिकरण के अध्यक्ष अथवा सदस्य के रूप में नियुक्त किए जाने पर

सत्यनिष्ठा से

ईश्वर की शपथ लेता/लेती हूं कि

मैं मेरी योग्यता, ज्ञान और निर्णय से, बिना किसी भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के अध्यक्ष अथवा सदस्य के रूप में ईमानदारी और कर्त्तव्यनिष्ठा से मेरे कर्त्तव्यों का निर्वहन करूंगा/करूंगी।"

हस्ताक्षरः .....

(अध्यक्ष/न्यायिक/तकनीकी सदस्य का नाम)

पदनामः .....

राष्ट्रीय कंपनी विधि अधिकरण

तारीख:

स्थानः

**प्ररूप – II**

(नियम 17 देखें)

**राष्ट्रीय कंपनी विधि अधिकरण के अध्यक्ष अथवा सदस्यों के लिए गोपनीयता की शपथ का प्ररूप**

"मैं, ....., राष्ट्रीय कंपनी विधि अधिकरण के अध्यक्ष अथवा सदस्यों के रूप में नियुक्ति किए जाने पर

सत्यनिष्ठा से

ईश्वर की शपथ लेता/लेती हूं कि

मैं उक्त अधिकरण के अध्यक्ष या सदस्य के रूप में ऐसा कोई भी मामला, जो मेरे संज्ञान में लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, को अध्यक्ष या सदस्य के रूप में सिवाए उस स्थिति के जब अध्यक्ष या सदस्य के रूप में मेरे कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, किसी भी व्यक्ति या व्यक्तियों के समक्ष प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा/करूंगी।

हस्ताक्षरः .....

(अध्यक्ष/न्यायिक/तकनीकी सदस्य का नाम)

पदनामः .....

राष्ट्रीय कंपनी विधि अधिकरण

तारीखः

स्थानः

**प्ररूप – III**

(नियम 18 देखें)

**राष्ट्रीय कंपनी विधि अधिकरण के अध्यक्ष या सदस्यों की गोपनीयता शपथ वित्तीय हित की घोषणा**

"मैं, ....., राष्ट्रीय कंपनी विधि अधिकरण के अध्यक्ष अथवा सदस्य (जो लागू न हो उसे काट दें) के रूप में नियुक्त किए जाने पर सत्यनिष्ठा से घोषणा करता/करती हूं कि मेरा किसी भी तरह का ऐसा वित्तीय या अन्य हित न है, न भविष्य में होगा, जिससे राष्ट्रीय कंपनी विधि अधिकरण के अध्यक्ष या सदस्य (जो लागू न हो उसे काट दें) के रूप में मेरे कार्यों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना हो।

हस्ताक्षरः .....

(अध्यक्ष/न्यायिक/तकनीकी सदस्य का नाम)

पदनामः .....

राष्ट्रीय कंपनी विधि अधिकरण

तारीखः

स्थानः

[फा. सं. 1/30/2013-सीएल.V-भाग-I]

अमरदीप सिंह भाटिया, संयुक्त सचिव

IndiaCode

**NOTIFICATION**

New Delhi, the 21st September, 2015

**G.S.R. 729(E).**—In exercise of the powers conferred by section 469 read with section 414 of the Companies Act, 2013 (18 of 2013), the Central Government hereby makes the following rules, namely:—

**1. Short title and commencement.-** (1) These rules may be called the National Company Law Tribunal (Salary, Allowances and other Terms and Conditions of Service of President and other Members) Rules, 2015.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

**2. Definitions.–** (1) In these rules, unless the context otherwise requires, -

(a) "Act" means the Companies Act, 2013 (18 of 2013);

(b) "President" means the President of the Tribunal appointed under section 408 of the Act;

(2) Words and expressions used in these rules and not defined, but defined in the Act shall have the meanings respectively assigned to them in the Act.

**3. Pay.-** (1) The President shall be entitled to a monthly pay of Rs. 80,000/- (fixed) and other allowances as are admissible to a Government Servant in the Apex grade of Rs. 80,000 (fixed).

(2) A Judicial Member and Technical Member shall be paid salary in the pay scale of Rs. 67000-79000/- (annual increment at 3%) and other allowances as are admissible to a Government Servant in Higher Administrative Grade of Rs. 67000-79000/-.

(3) In case a person appointed as the President or a Judicial Member or a Technical Member, as the case may be, is in receipt of any pension, the pay of such person shall be reduced by the gross amount of pension drawn by him.

**4. Pension, Gratuity or Provident Fund. –** (1) In case a serving judge of a High Court or a person in the service of the Government is appointed to the post of President or Judicial Member or Technical Member, as the case may be, the service rendered by him in the Tribunal shall count for pension, to be drawn in accordance with the rules of the service or office to which he belongs, and he shall also be governed by the provisions of the General Provident Fund (Central Services) Rules, 1960.

(2) In all other cases, the Members shall be governed by the provisions of the Contributory Provident Fund (India) Rules, 1962.

(3) Additional pension and gratuity shall not be admissible for service rendered in the Tribunal.

**5. Leave. –** (1) The President and every other Member shall be entitled to thirty days of Earned Leave for every year of service.

(2) The payment of leave salary during leave shall be governed by rule 40 of the Central Civil Services (Leave) Rules, 1972.

(3) The President and Members shall be entitled to encashment of leave in respect of the Earned Leave standing to his credit, subject to the condition that maximum leave encashment, including received at the time of retirement from previous service shall not in any case exceed the prescribed limit under the Central Civil Service (Leave) Rules, 1972.

**6. Leave Sanctioning Authority. -** In the case of the President, the competent authority to sanction the leave shall be the President of India and in the case of the Members, the President shall be the leave sanctioning authority.

**7. Travelling Allowances.-** (1) The President while on tour within India or on transfer (including the journey undertaken to join the Tribunal or on the completion of their tenure with the Tribunal to proceed to his home town) shall be entitled to the travelling allowance, daily allowance, transportation of personal effects and other similar matters at the same rates as are applicable to the officers of the Central Government in Apex Grade [Rupees eighty thousand (fixed)].

(2) The Members while on tour within India or on transfer (including the journey undertaken to join the Tribunal or on the completion of tenure with the Tribunal to proceed his home town) shall be entitled to the travelling allowance, daily allowance, transportation of personal effects and other similar matters at the same rates as are applicable to the officers of the Central Government in Higher Administrative Grade (Rs. 67000-79000).

**8. Official visits abroad. –** (1) Official visits abroad by the President shall be undertaken in accordance with orders issued by the Central Government and he shall be entitled to draw such allowances in respect of such visits as are applicable to officers of the Central Government in Apex Grade [Rupees eighty thousand(fixed)].

(2) Official visits abroad by Member shall be undertaken only in accordance with orders issued by the Central Government and he shall be entitled to draw such allowances in respect of such visits as are applicable to officers of the Central Government in Higher Administrative Grade Rs. 67000-79000.

**9. Leave Travel Concession. –** (1) The President shall be entitled to Leave Travel Concession on the same terms as applicable to officers of the Central Government in Apex Grade [Rupees eighty thousand. (fixed)].

(2) The Members shall be entitled to Leave Travel Concession on the same terms as are applicable to officers of the Central Government in Higher Administrative Grade (Rs. 67000-79000).

**10. Facility for Medical Treatment.-** The President and other Members shall be entitled to the medical facilities as provided in the Central Service (Medical Attendance) Rules, 1944.

**11**. **Accommodation**.- The President and Members shall have the option of claiming house rent allowance in accordance with the rates prescribed by the Central Government for Group "A" officers of equivalent grade pay or scale:

Provided that they shall not be eligible for house rent allowance in case he is declared eligible for General Pool Residential Accommodation and occupy such a Government accommodation allotted to them.

**12**. **Facility of conveyance**.- The President and Members shall be entitled to the facility of staff car for journeys for official and private purposes in accordance with the facilities provided to Government servants in the corresponding pay grade as per Staff Car Rules, as amended from time to time.

**13. Telephone facility**.- The President and Members shall be eligible for telephone facilities, as admissible to a Group 'A' officer of the Central Government drawing an equivalent pay.

**14. Conditions of service of President**.- Where a serving or retired Judge of a High Court is appointed as President, the service conditions, unless specifically provided in these rules, shall be as contained in the High Court Judges (Salaries and Conditions of Service) Act, 1954 and the rules made thereunder.

**15. Conditions of service of Judicial Member.—** (1) Where a serving Judge of a High Court is appointed as a Judicial Member, the service conditions, unless specifically provided in these rules, shall be as contained in the High Court Judges (Salaries and Conditions of Sevice) Act, 1954 and the rules made thereunder:

Provided that the Judicial Member after his due date of retirement from service as a Judge of the High Court or expiry of the lien period, whichever is later, the service conditions, other than specifically provided in these rules, for the remaining period of his term of office shall be same as may, for the time being, be applicable to other employees of the Government of India of a corresponding status.

**16. Applicability of rules. –** Chairman and Members of the Company Law Board, who fulfill the qualifications and rquirements, provided under the Act for being appointed respectively as the President and Members of the Tribunal shall be so appointed after following the selection procedure for these posts in the manner laid down in section 412 of the Act.

**17. Oath of office and secrecy. -** (1) Every person appointed as the President or Member, as the case may be, shall, before entering upon his office, make and subscribe an oath of office and secrecy respectively, in Form I and Form II annexed to these rules.

**18. Declaration of financial or other interest.-** Every person, on his appointment as the President or Member, as the case may be, shall give a declaration in Form III annexed to these rules, to the satisfaction of the Central Government, that he does not have any such financial or other interest as is likely to affect prejudicially his functions as President or Member.

**19**. **Residuary provisions.** - Matters relating to the terms and conditions of service of the President and Members with repect to which no express provision has been made in these rules, shall be same as may, for the time being, be applicable to other employees of the Government of India of a corresponding status.

**20. Powers to relax. -** The Central Government shall have power to relax any provision of these rules with respect to any class or category of persons.

**Form - I**

(See rule 17)

**Form of oath of office for President or Members of the National Company Law Tribunal**

"I, ....., having been appointed as President or member of the National Company Law Tribunal

do solemnly affirm

swear in the name of God

that I will faithfully and conscientiously discharge my duties as President or member to the best of my ability, knowledge and judgment, without fear or favour, affection or ill-will."

Signature: .....

(Name of the President/Judicial/Technical Member)

Designation: .....

National Company Law Tribunal

Dated:

Place:

IndiaCode

**Form - II**

(See rule 17)

**Form of oath of secrecy for President or Members of the National Company Law Tribunal**

"I, ....., having been appointed as President or member of the National Company Law Appellate Tribunal

do solemnly affirm

swear in the name of God

that I will not directly or indirectly communicate or reveal to any person or persons any matter which shall be brought under my consideration or shall become known to me as President or member of the said Tribunal except as may be required for the due discharge of my duties as President or Member."

Signature: .....

(Name of the President/ Judicial/Technical Member)

Designation: .....

National Company Law Tribunal

Dated:

Place:

**Form - III**

(See rule 18)

**Declaration against acquisition of any adverse financial or other interest**

I, ....., having been appointed as the President or Member (cross out portion not applicable) of the National Company Law Tribunal, do solemnly affirm and declare that I do not have, nor shall have in future any financial or other interest which is likely to affect prejudicially my functioning as the President or Member (cross out portion not applicable), of the National Company Law Tribunal.

India Code

Signature: .....

(Name of the President/ Judicial/Technical Member)

Designation: .....

National Company Law Tribunal

Dated:

Place:

[F. No. 1/30/2013-CL.V–Part–I]

AMARDEEP SINGH BHATIA, Jt. Secy.

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.